# न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
# मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}**

**प्रकरण संख्याः 355/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/507)**

| वादीगण | प्रतिवादीगण |
|---|---|
| 1. मेजर सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति नाई सिख निवासी वार्ड नम्बर 1, गांव 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. सुखदेव कौर पत्नी मेजर सिंह जाति नाई सिख निवासी वार्ड नम्बर 1, गांव 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। | 1. महेन्द्र सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति नाईसिख निवासी वार्ड नम्बर 1, गांव 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। |

बनाम

**वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955**

**तारीख रजू 18.11.2025**

**उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण**
**2. श्री श्याम लाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1**

**दिनांकः 18.12.2025**

## —निर्णय—

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 101/41 के मुरब्बा नम्बर 34, 61/13 की कुल 2.824 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में से प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम से 1.033 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्यगण है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है। वादीगण एंव प्रतिवादी ने उक्त भूमि की आपसी सहूलियत से बंटवारा किया हुआ है। बंटवारानामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त 1.033 हैक्टेयर भूमि वादीगण को सुपूर्द की हुई है। उक्त पारिवारिक बंटवारा के अनुसार ही वादीगण आज तक उक्त 1.033 हैक्टेयर भूमि पर शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर काबिज चले आ रहे है। उक्त पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादीगण उक्त भूमि पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त भूमि का आज तक राजस्व अभिलेख में अंकन प्रतिवादी संख्या 1 ने नहीं करवाया है, क्योंकि उक्त 1.033 हैक्टेयर भूमि काफी समय से बैंक ऋण होने के कारण भारग्रस्त है। वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा था कि वह सहमति से भूमि का अंकन करवा देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि कब्जा भूमि का मुताबिक बंटवारा के अनुसार आपको दिया हुआ है तथा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम जल्द ही भूमि को भारमुक्त करवाकर भूमि का अंकन करवा देगें। आज से 1 माह पूर्व वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को आग्रह किया था कि वह सहमति से पारिवारिक बंटवारा के अनुसार 1.033 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम से दर्ज करवा देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 101/41 के मुरब्बा नम्बर 34, 61/13 की कुल 2.824 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज 1.033 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम लाल उपस्थित आए। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश किया। राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। राजीनामा अनुसार राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 101/41 के मुरब्बा नम्बर 34, 61/13 की कुल 2.824 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज 1.033 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को बहिस्सा बराबर का खातेदार किया जाता है तो वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से राजीनामा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादीगण का वादपत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादीगण का वादपत्र, राजीनामा मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद पत्र उभयपक्ष की सहमति मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

**-:आदेश:-**

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 101/41 के मुरब्बा नम्बर 34, 61/13 की कुल 2.824 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज 1.033 हैक्टेयर भूमि का वादीगण मेजर सिंह, सुखदेव कौर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

| वादीगण | बनाम | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| मेजर सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति नाई सिख निवासी वार्ड नम्बर 1, गांव 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. सुखदेव कौर पत्नी मेजर सिंह जाति नाई सिख निवासी वार्ड नम्बर 1, गांव 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर। | | 1. महेन्द्र सिंह पुत्र सुखपाल सिंह जाति नाईसिख निवासी वार्ड नम्बर 1, गांव 1 एन जगतेवाला तहसील श्रीकरणपुर।<br>2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर। |

**वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए**

मुकदमा नम्बर **355/2025**

**निर्णय दिनांक :-18.12.2025**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री श्याम लाल उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा मुताबिक भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 1 एन, पटवार हल्का 25 एफ गुलाबेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 101/41 के मुरब्बा नम्बर 34, 61/13 की कुल 2.824 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज 1.033 हैक्टेयर भूमि का वादीगण मेजर सिंह, सुखदेव कौर को बहिस्सा बराबर का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 18.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

| मुददई | रुपया | पैसा | मुदायली | रुपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | 02 | 00 | स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 |
| स्टाम्प वकालतनामा | 02 | 00 | स्टाम्प अर्जी | 02 | 00 |
| स्टाम्प ड्यूटी | 00 | 00 | मेहनताना वकील पर | 00 | 00 |
| **योग** | **04** | **00** | **योग** | **04** | **00** |

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)

क्रमांक: रीडर/2025/312 दिनांक: 18.12.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम} (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (जिला श्रीगंगानगर)